कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

विषय :– राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के गठन एवं "सखा संगम" कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में ।

राज्य के प्रत्येक बालक–बालिका हेतु उनके निवास के समीपवर्ती स्थान पर उच्च माध्यमिक स्तर तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके सुखद परिणाम के रूप में निकट भविष्य में ही राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक स्तर तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रत्येक विद्यार्थी तक सहज एवं व्यावहारिक पहुंच की निरन्तर सुनिश्चितता हेतु स्थानीय जन समुदाय की विद्यालय के प्रबन्धन एवं संचालन में सतत् भागीदारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय निर्देशानुरूप विद्यालयों में अध्यापक–अभिभावक परिषद् तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) जैसी प्रभावकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है ।

शिविरा पंचांग में भी समस्त संस्था प्रधानों को विद्यालयों में समय–समय पर बालसभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को सम्बोधित करवाए जाने बाबत् स्थाई निर्देश प्रदान किए गए हैं ।

स्थानीय जनसमुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी विद्यालय को विकसित करने व अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के विधिवत गठन बाबत् इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र दिनांक :17.04.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं।

➤ **विद्यालय द्वारा करणीय कार्यः–**

1. विद्यालय के समस्त पूर्व विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नामचीन एवं लब्धप्रतिष्ठ विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का पता लगाया जाकर उनका भावनात्मक एवं भौतिक जुड़ाव विद्यालय से करने के उद्देश्य से समस्त राजकीय विद्यालयों में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन आवश्यक रूप से किया जावे एवं प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक इसे अद्यतन किया जाए।
2. **उक्तानुसार पूर्व विद्यार्थी मंच का गठन एवं अद्यतन शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय टेब में सामुदायिक सहभागिता उप टेब के अन्तर्गत पूर्व विद्यार्थी – पंजीकरण प्रपत्र में समस्त जानकारियों को आवश्यक रूप से भरते हुए सभी पूर्व विद्यार्थियों को संस्था प्रधान द्वारा किया पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**
3. विद्यालय स्टाफ, स्थानीय क्षेत्र के उक्त विद्यालय में अध्ययनरत रहे पूर्व छात्रों तथा विद्यालय के छात्र पंजीयन रजिस्टर (S.R. Register) में उपलब्ध रिकॉर्ड की सहायता से विद्यालय के अधिकाधिक पूर्व छात्रों का अभिलेख उनके विद्यालय त्याग के वर्ष के आधार पर एक डाटा बेस तैयार किया जाए एवं इस हेतु रजिस्टर संधारित किया जाए।
4. जिन विद्यालयों में उक्त मंच का गठन पूर्व में हो चुका है वे नए पूर्व विद्यार्थियों को जोड़ते हुए इसे अद्यतन करेंगे।
5. विद्यालय स्तर पर "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" हेतु विद्यालय में कार्यरत ऐसे व्याख्याता/व.अ./अध्यापक को प्रभारी नियुक्त किया जाए, जिसका स्थानीय जन समुदाय से व्यापक जुड़ाव हो।
6. ऐसे पूर्व विद्यार्थी जो व्यवसाय/नौकरी के कारण अन्य जिलों या राज्यों में निवास कर रहें है, उनके अपने क्षेत्र में आगमन पर उन्हें ससम्मान विद्यालय में आमंत्रित किया जाए व उनके अनुभवों से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए।
7. समस्त पूर्व विद्यार्थियों से विद्यालय नियमित जुड़ाव रखे एवं पूर्व विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर आयोज्य विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा अध्यापक–अभिभावक परिषद् की संयुक्त बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करने की सुनिश्चितता करें।
8. विद्यालय किसी ऐसे स्थानीय अवसर पर यथाः– आस–पास लगने वाले मेंले, सावो के अवसर पर जिस समय अधिकाधिक संख्या में दिसावर से लोग अपने क्षेत्र में आते हों, उस समय सखा सगंम का आयोजन कर सकते हैं अथवा विद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय समस्त पूर्व विद्यार्थियों को ससम्मान आमंत्रित कर सखा संगम का आयोजन किया जा सकता है। इस अवसर पर यथावश्यक विद्यार्थियों से

रूबरू करवाकर उनके अनुभवों व सुझावों का साझा करवाने एवं विद्यालय विकास में उनसे सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

9. इसके अलावा वैकल्पिक तौर पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम, छात्रों के विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) अथवा अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक के साथ किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय में पूर्व वर्षों में अध्ययनरत रहे छात्रों को सपरिवार कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सम्मानजनक रीति से आमंत्रित कर उनकी अधिकाधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित् की जाए।
10. इस कार्यक्रम में वर्तमान में समाज में गौरवपूर्ण उपलब्धि अथवा ख्याति अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन करने वाले पूर्व छात्रों के अभिनन्दन का कार्यक्रम भी इसी दौरान रखा जा सकता है। ।
11. सखा संगम के दौरान "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" की आगामी गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु पूर्व छात्रों का सम्मान एवं अभिनन्दन करते हुए उक्त मंच हेतु समय दे सकने वाले व्यक्तियों की कार्यकारी समिति (Working Committee) का निर्माण किया जाए, जिसके पदेन अध्यक्ष संस्था प्रधान रहेंगे एवं प्रभारी व्याख्याता/व.अ./अध्यापक इसके सदस्य सचिव रहेंगे। पूर्व विद्यार्थियों में से यथायोग्य पदाधिकारी व सदस्यों का मनोनयन पारस्परिक सहमति एवं विचार–विमर्श से किया जाए।
12. ''सखा–संगम'' कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक शैक्षिक सत्र में समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा पूर्ण उत्साह, उमंग एवं भव्य तरीके से धूमधाम तथा समारोहपूर्वक किया जाएगा। इस हेतु प्रारम्भ में आवश्यक तैयारियों हेतु विद्यालय विकास कोष/विद्यार्थी कोष से व्यय किया जा सकता है।
13. संस्था प्रधान सखा संगम के तहत पूर्व विद्यार्थियों के इस जुड़ाव का उपयोग विद्यालय की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी लिया जा सकता है।
14. विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को विद्यालय की ''नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना'' से सक्रिय रूप से जोड़ने हेतु प्रतिवर्ष आयोज्य प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में उनकी सार्थक भागीदारी हेतु स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा स्थानीय विद्यालय परिक्षेत्र में निवास करने वाले उनके परिजनों के बालक–बालिकाओं का प्रवेश विद्यालय में करवाने हेतु प्रेरित करवाएं।

Rajasthan Education Department

➢ **सीबीईओ द्वारा करणीय कार्यः–**

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी अपने क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में पूर्व विद्यार्थी मंच के गठन एवं अद्यतन किए जाने का प्रबोधन करेंगे।
2. विद्यालयों में उक्त मंच की गतिविधियों का रिकार्ड संधारित करेंगे।
3. प्रत्येक सत्र में सत्रारम्भ में अधीनस्थ विद्यालयों को उक्त मंच को अद्यतन किए जाने एवं शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त पूर्व विद्यार्थियों का पंजीकरण किए जाने बाबत् प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकार में सम्बन्धित सस्था प्रधानों से प्राप्त कर प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त तक प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
4. उक्तानुसार सत्र अद्यतन की समस्त रिपोर्ट 20 अगस्त तक अपने कार्यालय संधारित करेंगे एवं सूचना संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे।
5. विद्यालय अवलोकन के समय विद्यालय में सखा संगम के अभिलेखों का अवलोकन भी करेंगे।

➢ **सीडीईओ द्वारा करणीय कार्यः–**

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अपने क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में पूर्व विद्यार्थी मंच के गठन का प्रबोधन करेंगे।
2. प्रत्येक सत्र में सत्रारम्भ में अधीनस्थ सीबीईओ को उक्त मंच को अद्यतन किए जाने बाबत् निर्देश जारी करेंगे। शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त पूर्व विद्यार्थियों का पंजीकरण किए जाने बाबत् प्रमाण पत्र (क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा कर लिया गया है) समस्त अधीनस्थ CBEO से प्राप्त कर प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त तक प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
3. उक्त की सूचना मय प्रमाण पत्र संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. विद्यालय अवलोकन के समय विद्यालय में सखा संगम के अभिलेखों का अवलोकन भी करेंगे।

➢ **संयुक्त निदेशक द्वारा करणीय कार्यः–**

1. समस्त संयुक्त निदेशक क्षेत्राधिकार में इस कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी रहेंगे एवं क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों में पूर्व विद्यार्थी मंच के गठन का प्रबोधन करेंगे।

2. प्रत्येक सत्र में सत्रारम्भ में अधीनस्थ सीडीईओ को उक्त मंच को अद्यतन किए जाने बाबत् निर्देश जारी करेंगे। शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त पूर्व विद्यार्थियों का पंजीकरण किए जाने बाबत् प्रमाण पत्र (क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा कर लिया गया है) समस्त अधीनस्थ CDEO से प्राप्त कर प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
3. प्रत्येक वर्ष 7 सितम्बर तक अधीनस्थ जिलों से प्राप्त सूचना समेकित कर रिकार्ड संधारित करेंगे तथा उच्च स्तर पर चाहे जाने पर सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. क्षेत्राधिकार के जिलों में अवलोकन के समय विद्यालय में सखा संगम के अभिलेखों का अवलोकन भी करेंगे।

उपर्युक्तानुसार समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन एवं ''सखा–सगंम'' कार्यक्रम का आयोजन प्रदत्त निर्देशानुरूप किए जाने की कार्यवाही समस्त सम्बन्धितों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित की जाए।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/SDMC/22423/2022/09
दिनांक : 23/12/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थानस्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
8. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को क्षेत्राधिकार के जिले में समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
14. वरिष्ठ सम्पादक, ''शिविरा'', कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
17. समस्त संस्थाप्रधान।
18. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर